भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-221
सोमवार, 04 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

बेरोजगार लोगों की संख्या

221. श्री एम॰ बी॰ राजेशः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है;
(ख) देश में अत्यधिक बेराजगारी के कारण युवाओं में सरकार के विरूद्ध असंतोष है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(घ) बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): केंद्र सरकार में भर्ती प्रमुख रूप से संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) आदि जैसे विभिन्न भर्ती अभिकरणों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, अनेक मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्राधिकार में कुछ पदों के लिए उनका अपना भर्ती तंत्र है। सभी भर्ती अभिकरणों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से डेटा एकत्रित करने के लिए कोई केंद्रीयकृत अभिकरण नहीं है। सरकारी पदों को निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार नियमित रूप से भरा जाता है। केंद्र सरकार के मुख्य भर्ती अभिकरणों के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या, जैसा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपलब्ध है, नीचे दी गई हैः-

वर्ष	यूपीएससी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या	एसएससी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या	आरआरबी/आरआरसी द्वारा पैनल पर लिए गए/भर्ती किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	कुल
2014-15	8272	58066	47186	113524
2015-16	6866	25138	79803	111807
2016-17	5740	68880	26318	100938
2017-18	6314	45391	19100	70805

इन आंकडों में अपने निजी तंत्र द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक/स्वायतशासी निकायों द्वारा की गई भर्तियां और यूपीएससी,एसएससी और अन्य भर्ती अभिकरणों में गए बिना मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई सीधी भर्ती के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं की प्रगति अनुबंध में दी गई है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु 3 वर्षों के लिए ईपीएफ एवं ईपीएस के नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 21.01.2019 तक इस योजना में 1,28,501 प्रतिष्ठानों और 1.05 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है।

सरकार ने, अन्य के साथ-साथ, स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 25 जनवरी, 2019 तक कुल 15.59 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 04.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 221 के भाग (क से घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रमुख केंद्र सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार

योजनाएं/वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (लाख में)	3.57	3.23	4.08	3.87	2.85 (30-11-2018 तक)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (करोड़ में)	166.19	235.14	235.64	234.26	163.22 (30-11-2018 तक)
डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत नियोजित अभ्यर्थी (लाख में)	0.54	1.09	1.48	0.76	0.96 (03-12-2018 तक)
डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत नियोजन (लाख में)	0.63	0.34	1.52	1.15	0.95 (05-12-2018 तक)